न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 245/2017 निर्णय दिनांक :–17.3.20

उनवान

1. मोहन लाल पुत्र श्री धान्या
2. जगदीशनारायण पुत्र श्री धान्या
3. रामलाल पुत्र श्री धान्या
4. कैलाश चंद पुत्र श्री धान्या

समस्त जाति कुम्हार निवासी मुडिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती त/धा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया गया कि वाके ग्राम शक्करखावदा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 09

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा जिसके वर्तमान सेटमेंट में नये खसरा नम्बर 255, 229 से 239, 246 से 255, 257, 323 कुल किता 24 कुल रकाब 3.03 है0 डाले गये। राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार धान्या पुत्र रामदेव रिकॉर्डेड काबिज खातेदार, काश्तकार था। धान्यां जब तक जीवित रहा , धान्या उक्त भूमि पर काबिज, काश्त रहा, धान्या के स्वर्गवांस के बाद हम प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज, काश्त चले आ रहे है। दौराने सैटलमेन्ट वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड मे जहां धान्या पुत्र रामदेव अंकित था, उसके स्थान पर लिपिकीय भूल एंव सेहवन से राजस्व कर्मचारियो द्वारा काल्या पुत्र रामदेव अंकित कर दिया गया है, जो गलत है। काल्या पुत्र रामदेव के स्थान पर धान्या पुत्र रामदेव होना चाहिये। उक्त त्रुटि से हम प्रार्थीगण के वैधानिक अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पडता है उक्त त्रुटि का प्राथीगण को आभास नही हो सका 9 जब प्रार्थी दिंनाक 20.4.2017 को तहसील कार्यालय मे जाकर किसान केडिट कार्ड के लिये जमाबंदी निकलवाने के लिये गया तो उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ है। प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो, पटवारी जी से, तहसीलदार जी से उक्त त्रुटि के बारे मे निवेदन किया तो उन्होने कहा कि राजस्व अभियान मे उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर दिया जावेंगा, कोई दिक्कत नही है । ऐसी त्रुटि होती रहती है। लेकिन राजस्व अभियान में भी उक्त त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया जा सका। दिंनाक 14.7.2017 को प्रार्थीगण ने दुबारा तहसील कार्यालय मे तहसीलदार जी से निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहां कि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

राजस्व अभियान खत्म हो गये है, अब तुम कोर्ट से ही उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाओ । ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे मान्य न्यायालय में जरिये प्रार्थना पत्र त/धा 136 भू0रा0अधिनियम जहां राजस्व रिकोर्ड मे काल्या पुत्र रामदेव अंकित है, उसके स्थान पर धान्या पुत्र रामदेव अंकित करवावे । लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कराने की कोई मयाद नही है प्रार्थना पत्र जानकारी से अंदर मयाद पेश है। वादग्रस्त भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार मान्य न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि –प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 225, 229 लगायत 239, 246 लगायत 255, 257, 323 कुल किता 24 कुल रकबा 3.03 है0 वाके ग्राम शक्करखावदा तहसील चाकसू के राजस्व रिकोर्ड में जहां काल्या पुत्र रामदेव अंकित है, उसके स्थान पर धान्या पुत्र रामदेव अंकित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार निम्नानुसार पेश हुआ कि :– बिन्दु संख्या 1 के संबंध में ग्राम शक्करखावदा के खाता संख्या 134 किता 22 रकबा 2.79 है0 व खाता संख्या 133 किता 2 रकबा 0.24 है0 संलग्न जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। बिन्दु संख्या 2 वादी से संबंधित है, स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 4 प्रथम भाग मं वादी स्वयं सिद्ध करे। द्वितीय भाग कानूनी है। बिन्दु संख्या 5 से 7 तक कानूनी बिन्दु है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जवाब सरकार पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेज एवं पंचायत प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थीकरण के पिता का नाम शुद्ध फरमाया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शक्करखावदा की जमाबंदी संवत 2061–64 खाता संख्या 113, मिलान क्षेत्रफल संवत 2051–70 जमाबंदी संवत 2023–27, जमाबंदी संवत 2073–76 सरपंच प्रमाण पत्र बतौर सबूत पेश किये गये। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं के कथन पर गोर किया व प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो जमाबंदी 2061–64 के खाता संख्या 113 में छोटी पत्नि धान्या, जगदीश मोहनलाल रामलाल, कैलाश पिता धान्या भी अंकित है व काल्या पुत्र रामदेव भी अंकित है प्रार्थी द्वारा काल्या पुत्र रामदेव के स्थान पर धान्या पुत्र रामदेव करवाना चाहता है जो सरपंच प्रमाण पत्र के अनुसार शक्करखावदा में काल्या पुत्र रामदेव नाम का कोई व्यक्ति नही होता बताया गया जबकि वास्तविक नाम धान्या पुत्र रामदेव कुम्हार था। इस प्रकार सरपंच प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 225, 229 से 239, 246 से 255, 257, 323 किता 24 रकबा 3.03 हे0 भूमि वाके ग्राम शक्करखावदा के राजस्व रिकार्ड में जहां काल्या पुत्र रामदेव अंकित के स्थान पर धान्या उर्फ काल्या पुत्र रामदेव शुद्ध अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में धान्या उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

काल्या पुत्र रामदेव शुद्ध अंकित किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.22 15:55:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: